तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/5/26	पत्रा. पेश। मुलतवाद [illegible] 13/5/26 को पेश हो Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	आदेश
13/5/26	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप० / संशोधित दावा पेश नहीं किया। पत्रावली 2 वर्ष के लगभग पुरानी है पुरानी प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाना उचित हो बाबत आदेश 25/5/26 को पेश हो Che	
25/5/26	पत्रा. पेश। वादी ने धारा 212 RT Act के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 ने अपना हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी 1-2 के हित पक्ष में हकत्याग कर दिया है परन्तु नकल जमाबंदी में अभी भी अप्रार्थी 3-5 का नाम चल रहा है वह यह ज़मीन का बेचान न कर दे, इसके Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	लिए वादी ने इनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मांगी है। वादी द्वारा 21/11/24 को अप्रार्थी 4 का नाम delete करवाने हेतु प्रार्थना पत्र किया गया। 21/1/25 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व वादी को संशोधित टाईटल पेश करने हेतु आदेश दिए गए। 2 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी वादी संशोधित टाईटल पेश नहीं कर रहा। वादी द्वारा हकत्याग के आधार पर अप्रार्थी 3-5 का नाम हटाने हेतु वाद लाया गया है। कोई भी ऐसा दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे हकत्याग प्रमाणित हो सके। वादी का प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं हो रहा है। न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः गुणावगुण के आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	